

एन एल फॉर्म - 9 ए - शेयरधारिता स्वरूप अनुसूची - ईसीजीसी लिमिटेड									
अनुबंध "क"									
बीमाकर्ताओं की ईक्विटीधारिता विवरण									
भाग क :									
31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही तक ईसीजीसी लिमिटेड की शेयरधारिता स्वरूप के विवरण									
क्र सं	श्रेणी	निवेशकों की सं	धारित शेयरों की सं	शेयरधारिता का %	चुक्ता ईक्विटी (in lakhs)	गिरवी रखे गए शेयर अथवा भारित शेयर		निश्चित रुद्धता अवधि वाले शेयर	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की सं (VI)	कुल धारित शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI)/(III) * 100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III) * 100
A	प्रमोटर और प्रमोटर समूह								
A.1	भारतीय प्रवर्तक व्यक्ति/एचयूएफ (प्रमुख शेयरधारकों के नाम):								
i)									
ii)	निकाय कॉर्पोरेट:								
	(i)								
	(ii)								
	(iii)								
iii)	वित्तीय संस्थान / बैंक								
iv)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार(सरकारें)/ भारत के राष्ट्रपति	भारत के राष्ट्रपति - 1 भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 7	भारत के राष्ट्रपति - 433799992 भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 8	भारत के राष्ट्रपति - 99.9999998 भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 0.0000002	भारत के राष्ट्रपति- 433799.992 भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 0.008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v)	कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले व्यक्ति (कृपया निर्दिष्ट करें)								



vi)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
A.2	विदेशी प्रमोटर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i)	व्यक्ति (प्रमुख शेयरधारकों के नाम):								
ii)	निकाय कॉर्पोरेट								
	(i)								
	(ii)								
	(iii)								
B	गैर प्रवर्तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
B.1	सार्वजनिक शेयरधारक								
1.1)	संस्थानों								
i)	म्यूचुअल फंड्स								
ii)	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक								
iii)	वित्तीय संस्थान / बैंक								
iv)	बीमा कंपनी								
v)	विदेशी प्रमोटर से संबंधित एफआईआई								
vi)	भारतीय प्रमोटर के विदेशी प्रमोटर से संबंधित एफआईआई								
vii)	भविष्य निधि/पेंशन निधि								
viii)	वैकल्पिक निवेश कोष								
ix)	कोई दूसरा (कृपया निर्दिष्ट करें)								
1.2)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार(सरकारें)/भारत के राष्ट्रपति								
1.3)	गैर संस्थानों								
i)	व्यक्तिगत शेयर पूंजी '2 लाख तक								

ii)	व्यक्तिगत शेयर पूंजी '2 लाख से अधिक								
iii)	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी								
iv)	अन्य:								
	-ट्रस्ट								
	-अनिवासी भारतीय (एनआरआई)								
	-समाशोधन सदस्य								
	-अनिवासी भारतीय गैर प्रत्यावर्तनीय								
	-निकायों कॉर्पोरेट								
	-आईईपीएफ								
v)	कोई दूसरा (कृपया निर्दिष्ट करें)								
B.2	गैर सार्वजनिक शेयरधारक								
2.1)	कस्टोडियन / डीआर होल्डर								
2.2)	कर्मचारी लाभ ट्रस्ट								
2.3)	कोई दूसरा (कृपया निर्दिष्ट करें)								
	कुल	8	433800000	100	433800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

फुटनोट

(i): चुकता इक्विटी के 1% से अधिक सभी होल्डिंग्स को अलग से प्रकट करना होगा।

(ii): भारतीय प्रमोटर - जैसा कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियमन 2 (1) (जी) के तहत परिभाषित किया गया है।

(iii): जहां कोई कंपनी सूचीबद्ध है, वहां "शेयर गिरवी रखे गए या अन्यथा भारग्रस्त" कॉलम "गैर प्रमोटर" श्रेणी पर लागू नहीं होगा।



भारतीय प्रमोटर में शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण कंपनी (एस) / भारतीय निवेशक (एस) जैसा कि ऊपर (ए) में दर्शाया गया है									
भाग ब:									
भारतीय प्रमोटर/भारतीय निवेशक का नाम: भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (कृपया एक से अधिक भारतीय प्रमोटर/भारतीय निवेशक के मामले में सारणी को दोहराएं)									
क्रमसं ख्या	श्रेणी	निवेशकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत	प्रदत्त हिस्सेदारी (लाख में)	गिरवी रखे या अन्यथा ऋणग्रस्त शेयर		लॉक इन के अंतर्गत शेयर अवधि	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की संख्या (VI)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII)=(VI)/(II I)*100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX)=(VIII)/(III)*100
A	प्रमोटर और प्रमोटर समूह								
A.1	भारतीय प्रवर्तक व्यक्ति/ एचयूएफ (प्रमुख के नाम शेयरधारक):								
ii)	निकाय कॉर्पोरेट:								
	(i)								
	(ii)								
	(iii)								
iii)	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों								
iv)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार(सरका रें)/भारत के राष्ट्रपति	भारत के राष्ट्रपति - 1 भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 7	भारत के राष्ट्रपति - 433799992 भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 8	भारत के राष्ट्रपति - 99.999998 भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 0.000002	भारत के राष्ट्रपति- 433799.99 2 भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति- 0.008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



v)	कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले व्यक्ति (कृपया निर्दिष्ट करें)								
vi)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
A.2	विदेशी प्रमोटर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i)	व्यक्ति (प्रमुख शेयरधारकों के नाम):								
ii)	निकाय कॉर्पोरेट:								
	(i)								
	(ii)								
	(iii)								
B	गैर प्रवर्तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
B.1	सार्वजनिक शेयरधारक								
1.1)	संस्थानों								
i)	म्यूचुअल फंड्स								
ii)	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक								
iii)	वित्तीय संस्थान/बैंक								
iv)	बीमा कंपनी								
v)	विदेशी प्रमोटर से संबंधित एफआईआई								
vi)	भारतीय प्रमोटर के विदेशी प्रमोटर से संबंधित एफआईआई								



vii)	भविष्य निधि/पेंशन निधि								
viii)	वैकल्पिक निवेश कोष								
ix)	अन्य कोई (कृपया निर्दिष्ट करें)								
1.2)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार(सरकारें) / भारत के राष्ट्रपति								
1.3)	गैर संस्थानों								
i)	व्यक्तिगत शेयर पूंजी-2 लाख तक								
ii)	व्यक्तिगत शेयर पूंजी ₹ 2 लाख से अधिक								
iii)	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी								
iv)	अन्य:								
	-ट्रस्ट								
	-अनिवासी भारतीय (एनआरआई)								
	-समाशोधन सदस्य								
	-अनिवासी भारतीय गैर प्रत्यावर्तनीय								
	-निकायों कॉर्पोरेट								
	-आईईपीएफ								
v)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								



B.2	गैर सार्वजनिक शेयरधारक								
2.1)	कस्टोडियन/ डीआर होल्डर								
2.2)	कर्मचारी लाभ ट्रस्ट								
2.3)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
	कुल	8	433800000	100	433800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

फुटनोट:

1. ऊपर भाग बी के ए.1 और ए.2 में, कॉर्पोरेट व्यक्तियों और निकायों के नामों का विशेष रूप से और अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।
 2. बीमाकर्ताओं को उन श्रेणियों को उजागर करना आवश्यक है जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 11(1)(ii) के दायरे में आती हैं।
 3. जहां बीमा कंपनी असूचीबद्ध है वहां निवेशकों का विवरण (ईएसओपी के तहत रखने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) प्रदान करना होगा।
 4. एकल और संयुक्त रूप से 1% से अधिक धारण करने वाले भारतीय निवेशकों का विवरण प्रदान करना होगा जहां बीमा कंपनी सूचीबद्ध है।
- ए.) कृपया उन एफएलआई के नाम निर्दिष्ट करें, जो भारतीय बीमा कंपनी के संयुक्त उद्यम भागीदार/विदेशी निवेशक के समूह से संबंधित हैं।
- बी.) कृपया उन ओसीबी को इंगित करते हुए ओसीबी के नाम निर्दिष्ट करें जो भारतीय बीमा कंपनी के संयुक्त उद्यम भागीदार/विदेशी निवेशक के समूह से संबंधित हैं।

प्रमाणीकरण

1. प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय प्रवर्तक/भारतीय निवेशक में भारतीय बीमा कंपनी के विदेशी निवेशकों (और उसकी सहायक कंपनियों) की इक्विटी होल्डिंग का विवरण जैसा कि IRDA (भारतीय पंजीकरण) के विनियम 11(1)(ii) में प्रावधान किया गया है। बीमा कंपनियां विनियम, 2000 को विवरण के भाग बी में दर्शाया गया है।
2. वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के अंत में आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 11 के अनुसार कुल विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहित) 0 प्रतिशत है।
3. आगे प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी सही और पूर्ण है, और सही स्थिति को दर्शाती है।

दिनांक: 05.04.2024

स्थान: मुंबई

(हस्ताक्षर)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अनुपालन अधिकारी

स्मिता
05/04/2024

*** यदि इस जानकारी के अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण के बीच कोई दिरोध है, तो अंग्रेजी संस्करण हिन्दी पर प्रबल होगा।

स्मिता वि. पंडित
Smita V. Pandit
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
Company Secretary & Compliance Officer

